ماہنامہ

شعاع عمل

لکھنؤ

اگست ۲۰۱۵ء

قَالَ اللّٰہُ تبارک وتعالیٰ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب



R.N.I NO. UPBIL/2004/13526

Postal Regd. No. SSP/LW/NP-75/2014-16 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month.

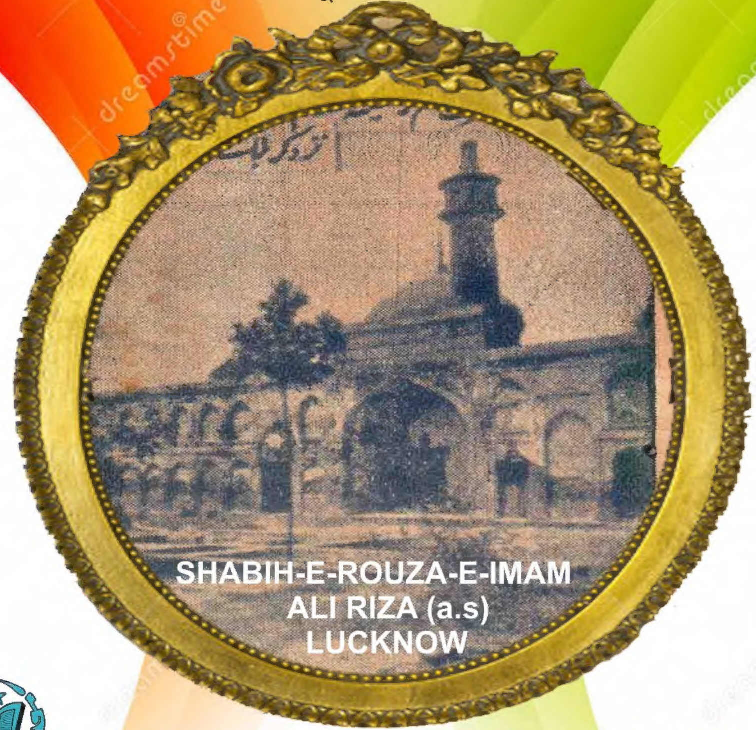
Annual Rs. 200/-　　August 2015　　Per copy-Rs. 20/-

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION

Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

Per Copy 20/-
Annual 200/-

बिस्मेही तआला

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

अगस्त 2015 ई०

शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

वर्ष 12 — अंक 2

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

मिलने का पता

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3

Phone No: 0522-2252230 Mobile No: 08736009814 — 09335996808

प्रकाशक मुद्रक: सैय्यद मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी द्वारा स्वामी एस कलबे जवाद नक़वी के लिए निज़ामी प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट अपोज़िट हसनैन मार्केट, चौक, लखनऊ (उ० प्र०) से मुद्रित तथा नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन, इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक लखनऊ (उ० प्र०) से प्रकाशित।
सम्पादक: सैय्यद मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी

विषय सूची

अगस्त 2015 ई०

शव्वाल 1436 हि०

सम्पादन समिति

- डॉ० अमानत हुसैन नक़वी
- वासिफ़ अहमद नक़वी 'समीर'
- सैय्यद सुहैल अब्बास नक़वी, मेरठ
- गौहर अली मुबारकपूर, आज़मगढ़
- मुहम्मद शादाब तफ़ज़्ज़ुली
- मज़हर हुसैन 'ताज' लखनवी
- शाहिद अली आज़मी
- नसीर हुसैन जलालपूरी
- अलहाज मिर्ज़ा हुमायूँ क़दर
- डॉ० आरिफ़ अब्बास
- रेहान आलम, लखनऊ
- बिन्ते ज़हरा 'नदल हिन्दी'

- ज़फ़र हुसैन रिज़वी ब्यूरोचीफ़ मुम्बई
- इरफ़ान हैदर, ब्यूरोचीफ़ मध्यप्रदेश
- कैफ़ तक़ी नक़वी, ब्यूरोचीफ़ देहली

R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526

▼▼▼

Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10

●●●

WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.org
www.naqeeblucknow.com

E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

वार्षिक अंशदान

1- एक साल के लिए 200/-
2- पांच साल के लिए 800/-
3- लाईफ़ मिम्बरशिप 4000/-

हज का दर्शन

सफ़वतुल उलमा मौलाना सैय्यद कल्बे आबिद नकवी रहमत मआब

जब से ज़मीन पर इंसान का पता चलता है। स्थानान्तरण और यात्राओं का सिलसिला भी चल रहा है। कभी जनसंख्या की बढ़ोत्तरी से किसी भूखंण्ड के भौतिक साधन माद्दी वसायल कम दिखे तो लोग झुंण्ड के झुंण्ड बनाकर ज़िन्दगी की आवश्यक चीज़ों की खोज में घरों को छोड़कर निकल खड़े हुए। कभी बलशाली क़बीलों ने दुर्बल क़बीलों को घर छोड़ने पर विवश कर दिया। कभी व्यावसायिक सामग्री से, (तिजारती सामान) से लेदे फंदे यात्री दल कारवाँ दर कारवाँ मिले। कभी यात्रा का उद्देश्य सैर सपाटा और मनोरंजन हुआ कभी कुछ अनुसन्धान प्रिय लोग स्वाभाविक खोज और फ़ितरी जुस्तजू एवम जिज्ञासा के अन्तर्गत यात्रा की कठिनाइयाँ झेलते दिखाई दिए।

मगर उपरोक्त सभी उद्देश्यों से अलग झुंण्ड के झूंण्ड कारवाँ के कारवाँ यात्रा दलों का एक और सिलसिला मिलता है जो हजारों साल से सफ़र करते रहते हैं उनके दृष्टिगत न पर्यटन है न जिज्ञासा न अनुसंन्धान। ये लोग वतन यानी स्वदेश से निकाले हुए हैं और न इन्हें किसी उर्वरा भूमि या जरखेज़ ज़मीन की तलाश है। इनका उद्देश्य और गन्तब्य स्थान यानी कि मंज़िले मक़सद एक सहारा है जहाँ न हरियाली थी न पानी, सिर्फ चटियल मैदान (एक पथरीली भूमि) जहां भौतिक लाभ के न जियादा इमकान हैं न देखने योग्य महल और इमारतें और न साँसारिक लाभ की सम्भावना है न घास के आनन्ददायी मैदान। बस एक उलूल अज्म पैग़म्बर का बिना वाणी का संदेश बापों की पीठ और माताओं के गर्भाशय में बसने वालों तक पहुंचा था और उनकी आत्माओं ने ''लब्बैक'' कही थी यानी तत्परता सूचक इक़रार किया था। यह वह लोग हैं जिनमें से कुछ पैदल कुछ सवारियों पर उस वचन को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रकार के कष्ट उठा के आए हैं जैसा कि कुरआन मजीद में जनाब ''इब्राहीम पैग़म्बर को हुक्म दिया जा रहा है।

''ऐ मेरे निश्छल बन्दो! तुम बाप बेटों ने मिल के मेरा घर तो बना दिया तो अब ऐ! इब्राहीम! लोगों में ''हज का ऐलान भी कर दो। लोग गहरे रास्तों से पैदल और छरहरी ऊंटनियों पर ''लब्बैक'' कहते हुए दौड़े आएंगे''।[1]

कुछ लोगों के मन में ये बात आती होगी कि अल्लाह को अपना घर बनवाना था तो किसी आनन्दायक स्थान हरी भरी घाटी में बनवाया होता, हज का हज हो जाता और मनोरंजन का मनोरंजन रहता। इसका जवाब हज़रत अली अमीरूल मोमिनीन के द्वारा सुनिए।

क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने सभी झगड़ों का, जनाबे आदम का क़यामत तक इम्तिहान लिया, ऐसे पत्थरों के माध्यम से जो न किसी को हानि पहुंचा सकते हैं न लाभ तो उसको अपना पुनीत घर बताया अमीरूल मोमिनीन ईमान वालों के सरदार के इस शुभ कथन से दो चीज़ मालूम होती हैं। एक तो यह कि हज का हुक्म जनाबे आदम के ही जमाने से क़ायम है और काबा ऐसी जगह बनवाया जहाँ अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य न हो। मन, नीयत, क्रिया सभी शुद्ध हों दृष्टि केवल अल्लाह की मर्जी पर हो।[2]

अब जब हर तरह की सुविधाएं हैं, अच्छे–अच्छे

बाइसवां सूरा अल–हज, आयत 27
नहुजुल बलाग़ा खुत्बा नम्बर 190

होटल ठहरने के लिए हैं, और पैसा हो तो आराम की प्रत्येक वस्तु मिल जाती है फिर भी हज करने वालों से पूछिए कि लाखों की भीड़ में क्या गुजरती है और फिर सोचिए कि पहाड़ों पर, मरूस्थलों पर, वनों खतरनाक दर्रों और घाटियों का सफर जब पैदल ऊंटों लुटेरों और अनुकूल मौसमों का मुक़ाबला करके अगर किसी तरह जिन्दा बच जाए तो कुछ कच्चे भवनों और एक बेगढ़े, तरशे पत्थरों से बनाए हुए वर्गाकार भवन के दर्शन के लिए आने वाले आते होंगे तो उनके दिल में अल्लाह की प्रसन्नता और पैग़म्बर के निर्देश के अनुपालन और जनाब इब्राहीम (अ०) की उदघोषणा पर ''लब्बैक'' यानी हम तत्पर हैं और उपस्थित हैं कह के परलोक के लाभ के अलावा और अपनी कौन सी भलाई दृष्टिगत होती होगी।

और हथेली पर जान रख कर इन सफर करने वालों का जब मस्जिदुल हराम और काबे का पवित्र भवन कामनाओं और मनोरथों का केन्द्र बन कर दिखायी पड़ता होगा तो उनके उबलते हुए श्रद्धा भाव और हृदय स्वच्छता जज़्ब–ए–अकीदत व इख्लास का प्रतीक बनकर गालों पर बहते हुए आंसू में पाखंण्ड का कोई छोटा अंश भी आता होगा। इसी लिए हज़रत अमीरुल मोमेनीन फरमाते हैं :–

''अगर पाक परवदिगार यह चाहता कि अपनी पुनीत और महिमामयी उपासना स्थलों की वाटिकाओं नहरों और समतल ज़मीन मेवादार घने बागों हरे भरे मैदानों ओर लहराते खेतों में जहां इमारतें एक दूसरे से करीब और रास्ते में आबादियाँ पास–पास होते तो उसके आदेश के अनुपालन में कितनी कम असुविधा होती उसी के लिहाज़ से सबाब भी (पुण्य भी) कम हो जाता, क्योंकि ''प्रतिकार मशक्कत के अनुपात में होता है।[1]

एक सवाल यह उठता है कि क्या हज अनिवार्य (वाजिब) करने का मक़सद बस ये परखना था कि कौन आज्ञा पालन करता है और कौन अवज्ञा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईश्वर के आदेशों का अनुपालन आज्ञाकारी के लिए और इस नीयत से कि मेरे मालिक और पूज्य का आदेश है। परलोक में प्रतिकार और पुण्य का हक़ देता है और यही स्थिति हज की भी है।

लेकिन क्या परलोक के पुण्य और प्रतिकार के अलावा भी इसमें कुछ भलाइयाँ हैं। और कोई दर्शन (फलसफा) इसमें पाया जाता है या नहीं। इस पर विचार के पहले दो मौलिक बातों को तय करना होगा।

1–क्या कोई चीज़ अपने आप में बज़ाते खुद अच्छी या बुरी होती है ''हुस्न–व–कुब्ह–ए–अश्या''यानी चीज़ो के गुण तथा दोष की अपनी जगह पर कोई हैसियत नहीं। या बस जो अल्लाह ने कह दिया वो अच्छा है और जिसे रोक दिया बुरा है।

फैसला यह करना है कि अल्लाह ने किसी चीज़ के अच्छे होने के कारण उससे रोका है या ऐसा है कि अल्लाह के आदेश से पहले न कोई चीज़ अच्छी थी न बुरी, जिसका आदेश दे दिया अच्छी हो गई जिस बात को रोक दिया वह बुरी हो गयी।

2–बल्कि सबसे पहले यह फैसला करना होगा कि अल्लाह के आदेशों का कोई हेतु और उद्देश्य (मकसद) होता भी है या नहीं जो चाहता है कर देता है और जिस बात के लिए हुक्म दे देता है अल्लाह को दूसरों से पुछताछ के लिए अधिकार हैं किसी को उससे इस सवाल का क्या अधिकार है कि क्यूँ किया और क्यूँ नहीं किया।[2]

अथवा इसका मतलब यह है कि निश्चय ही जो चाहता है करता है लेकिन करता वही है जो मसलहतों के मुताबिक अर्थात मनुष्य का हित और भला होता है। निश्चय ही अल्लाह से किसी को पूछताछ का अधिकार नहीं, सब उसके द्वारा

(1)नहजुल बलाग़ा खुतबा नम्बर 190

(2) इक्सवां सूरा अल–अंबिया आयत 23

शासित और अधीन हैं। लेकिन अपनी जगह पर उसकी कथनी और करनी में एतराज़ या आपत्ति की गुंजाइश भी नहीं होती न इसकी रचना में कोई दोष या गड़बड़ी है, और न धर्म विधि बनाने में कोई कमी।

सूविश्वास यानी खुशअक़ीदगी की तो मांग यही है कि तौबा–तौबा अल्लाह के हुक्म से हटकर कोई अच्छाई या बुराई क्या होगी, मगर अब इसको क्या किया जाए कि वो खुद कहता।

''निसन्देह अल्लाह न्याय और भलाई करने और नातेदारों को उनका हक़ देने का हुक्म देता है और अश्लील कर्म और बुराई के लिए सरकशी से रोकता है वह तुम्हें सदुोपदेश देता है ताकि तुम ध्यान दो। [1]तो पता चला कि कोई अच्छाई बुराई है जिसके अनुसार अल्लाह के आदेश होते हैं।

क्या तुमने समझाा कि हमने तुम्हें व्यर्थ पैदा किया है।''[2]यानी निरूद्देश्य और व्यर्थ काम करना दोष है। क्या तुमने अल्लाह की तरफ किसी दोषित और आपत्तिजनक बात निस्बत देते हो यानी यह मानते हो कि उसने ऐसा किया।

और तम्हारे परवदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी है।[3]तो नतीजा यह निकला कि कुछ सच्चाई और न्याय के मापदण्ड हैं जिन पर अल्लाह की बातें पूरी उतरती हैं।

कुरआन की उपरोक्त आयतों और इनके अलावा बहुत सी विवेक सम्मत या परम्परागत और अनुहार पर आधारित तर्कों से ये सिद्ध है कि चीज़ों में अपने आप के गुण दोष होते हैं और अल्लाह ने धार्मिक विधि के विधायन में इसी का लिहाज़ रखा है और यही भलाइयाँ, बुराइयाँ अल्लाह के आदेश और मनाही के यानी निषेध के आधार हैं। चुनांचे नमाज़ के लिए इरशाद है।

''निश्चय ही नमाज़ अश्लीलता और बुरे कर्म से रोकती है।''[1]दिन में पांच मरतबा अल्लाह के दरबार में उपस्थिति इतनी मरतबा उससे गुप्त संवाद, क्षमा याचना, दया याचना उसकी कल्पना को मन में ताजा करना आदमी के मानस में ऐसी पवित्रता पैदा करती है कि यदि अभ्यास के वशीभूत न हों, तो पांच वक्त की नमाज़ में प्रत्येक बुराई के लिए अंकुश है।

''तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया, जिस तरह से पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तुम परहेज़ बन जाओ[2]अल्लाह से डरने के लिए जिसे आसानी के लिए ''तक़वा'' भी कहते हैं यह आवश्यक है कि मनोकामना पर अधिकार और भावनाओं पर अधिपत्य प्राप्त किया जाये और रोजे यही गुण और क्षमता पैदा करने के माध्यम हैं।

''जो कुछ फे'' यानी ईश्वर के नकारने वालों से लड़े भिड़े जो माल मिल जाये वो अल्लाह का हक़ है और रसूल का और रसूल के नाते दारों का और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों का है ताकि वो माल तुम्हारे (धनियों) के बीच ही चक्कर काटता न रह जाये।''[3]

जब यह पता चला कि ईश्वर के आदेशों और उसके द्वारा अनिवार्य किये गये कर्तव्यों में परलोक मे पुण्य के अलावा मनुष्य के भले को भी सामने रखा गया है। तो अब यह देखा जाये कि हज सरीखे मशक्कत भरे आदेश में जिसको अपने बन्दों पर दया और अनुकम्पा के कारणों सारे जीवन में एक मर्तबा वाजिब या अनिवार्य किया गया है क्या भलाईयाँ हैं।

यक़ीनन 'तालील–बाद–र–वरूद'' की अनुमति दी गयी है। मतलब यह हुआ कि जब कोई अल्लाह की तरफ से आदेश हो और उसके फायदे न बताये गये हों तो हम को छूट है, इस बात की अनुमति है कि हम अपने ढ़ंग से सोचें कि इस हुक्म में क्या–क्या भलाईयाँ और

(1) सोलहवां सूरा अल–नहल, आयत 10 इसका उच्चारण अननह,ल होता है।

(2) तेईसवां सूरा अल–मोमेनून, आयत 90

(3) छटा सूरा अल–अनआम, आयत 116

(1)उनतीसवां सूरा अल–अनकबूत आयत 45

(2)दूसरा सूरा अल–बकरा, आयत 183

(3) चौबीसवां सूरा अल–हर्श, आयत 7

युक्तियां हों सकती हैं। मगर अपनी बुद्धि की काट दिखाने से यह अच्छा है कि इसी की खोज की जाए कि खुद अल्लाह ने इस कर्तव्य के क्या गुण गिनाए हैं।

हज के फर्ज या बाध्यकारी कर्तव्य होने के लिए कुरआन में साफ आयत है। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं उस घर का हज करें।"इस घर का परिचय इस तरह कराया गया है "निसन्देह पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया है वही जो मक्का में है। "जिसे हमने लोगों के लिए बनाया है मक्के में रहने वाले और बाहर से आने वाले दोनों समान हैं।[1]

उपरोक्त दोनों आयतों में "लिल–नास[2] कहा गया है अरबी में अधिकतर लाम जिस शब्द पर लगाया जाता है वो या तो 'तम्लीक' यानी स्वामित्व और उत्तराधिकार का अर्थ देता है या लाभ का। यहां स्वामित्व वाला अर्थ लगााना तो सम्भव नहीं अतः फायदे से अभिप्राय है। अर्थात इस घर का निर्माण लोगों के फायदे के लिए (लाभ के लिए) है। अगर ये सवाल हो कि इस घर से क्या लाभ हो सकता है! क्या फायदा हासिल किया जा सकता है! तो इसका जवाब कुरआन देता है कि "यह जो मक्के का घर है इसमें सभी संसार वालों के लिए पथ निर्देश है (हिदायत) है। इसमें रोशन ऊँचाइयाँ हैं जिनमें से इब्राहीम का स्थान जी देखेगा तो वो सोचेगा कि इब्राहीम वही तो जिनका जन्म नमरूद के शासन काल में बाबुल में हुआ। और जिनका मज़ार फिलिस्तीन के नगर 'अलखलील' में है।

और यादगारें दोनो जगहों से दूर मक्के की पावन भूमि पर है। आज से हजारों साल पहले यातायात के इतने साधन सुलभ न थे तो हजरत इब्राहीम ने क्यों इतने सुदूर स्थानों की यात्रांए की। मनुष्य का जिज्ञासु स्वाभाव जब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इतिहास के पन्ने पलटेगा तो कभी जनाब इब्राहीम और नमरूद का टकराव और नमरूद का अंजाम। फिर सत्य धर्म का प्रचार और तौहीद के सन्देश के प्रसार के लिए इस "उलुल अज्म पैग़म्बर[1]के सदुर स्थानों के सफर, वचन पालन के लिए चहीते बेटे और वफादार धर्मपत्नी की अल्लाह के भरोसे ऐसे वन में जहां पानी न हरियाली का नाम निशान "छोड़ना फिर अपने मालिक के इशारे पर चहीते पुत्र को छुरी की धार के नीचे लिटाना इस महान बलिदान के मौके पर भी बूढ़े बाप के चित्त की शान्ति कि न माथे पर बल और न हाथ में कम्पन और साथ ही साथ किशोर बच्चे का ज़िब्ह होने के लिए इस तरह तैयार होना कि चेहरे पर न भय की ज़र्दी और न ज़बान पर गिले शिकवे के शब्द।

यह तो एक निशानी थी परन्तु कुरआन मजीद ने "आयाते बैयनात" बहुत सी स्पष्ट निशानियों का ज़िक्र किया है। इनमें निशानी यह भी है कि तूफान आये कितने जलज़लों के झटकों ने बड़े–बड़े प्रसादों को जड़ (बुनियाद) से उखाड़ फेंका "मिटे नामियों के निशाँ कैसे–कैसे"परन्तु अल्लाह के दो निष्कपट शुद्ध हृदय बन्दों ने हृदय की शद्धता की सुदृढ़ नींव पर पाक और साफ संकल्प के मज़बूत मसाले से कुछ पत्थरों को जोड़ बटोर कर जो मकान बना दिया था वह घटनाओं के थपेड़ों से आज भी सुरक्षित बना हुआ है। एक निरंकुश अत्याचारी बादशाह ने धूम धड़ाके के साथ इस सदा सी इमारत के मुक़ाबले पर आलीशान उपासना स्थल बनवा कर धन और वैभव के बलबूते लोगों के ध्यान और श्रद्धा का आकृष्ट करना चाहा परन्तु असफल रहकर झुंझलाहट में अल्लाह का घर ढाने के इरादे से बड़ी वैभवपूर्ण जबरदस्त पलटन लेकर चला जिसके आगे–आगे झूमते हुए हाथियों का दस्ता था। मगर नतीजा क्या हुआ यह कुरआन के "सुरे फील" पंजों और ढोरों से

---

(1) तीसरा सूरा आल इमरान, आयत 96,97

(2) इसका उच्चारण लिन्नास होता हैं

(1) उलुल्अज़्म पैग़म्बर हैं जो शरीअत अर्थात धर्म विधि ले के भेजे गए।

गिरने वाली छोटी–छोटी बकरियों ने पूरी पलटन को क़ुरआन के शब्दों में चबा हुआ भूसा बना दिया।[14]

जब इतिहास के पन्ने कुछ और पलटे गये तो इसी मक्के की पुनीत गलियाँ ''लाइलाहा इल्लाह मोहम्मद्‌न रसूलल्लाह'' अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के पैग़म्बर हैं (दूत हैं) की आवाज से गूंज रही है। एक पुनीता और सदाचार की मूर्ति सुशीलता की पराकाष्ठा का दर्पण जिसकी प्रशंसा हर एक मुखार पर थी जिसको सादिक और अमीन यात्री सच्चा और अमानतदार कहते लोगों की ज़बानें नहीं थकती थीं ''कूलूलाइलाहा इल्लल्लाहा'' तुफलिहू यानी कहो कि हां अल्लाह बस एक है भला होगा'' कहने के अपराध में पत्थरबारी से लहूलुहान धृष्टताओं और दुरालाप का केन्द्र बना हुआ था। कोई जादूगर कह रहा था कोई इन्द्रजालिक कह रहा था। बरसों के शिक्षा प्रसार का फल कुछ नवयुवक, कुछ फटे हाल लोग और कुछ गुलाम (दास) कि जो असहनीय अत्याचार का निशाना था अन्तत जिनको नगर त्याग कर सुदूर नगरों की तरफ हिजरत करनी पड़ी (प्रस्थान करना पड़ा) फिर इस सहनशीलता की प्रतिमा को अपने बिछौने अपने चहीते भाई को सुला कर स्वेदेश छोड़ना पड़ा। लेकिन रात की अंधियारी में मक्का छोड़कर ग़ारों अर्थात कन्दराओं में रहने वाला थोड़े ही दिनों के बाद दिन के उजालों में इसी मक्के में जबरदस्त सेना के साथ विजेता के रूप में प्रवेश करते दिखता है। और वो ''बिलाल जो जलती रेत पर दहकते पत्थर के नीचे दबे हुए ''अहद–अहद'' यकता–यकता कह रहे थै। अब काबे की ऊंचाई से अल्लाहो अकबर, अश्हदो अन ला ला इलाहा इल्लल्लाहो मोहदन रसूलुल्लाह'' का जयघोष करते हुए नज़र आये। क्या यह निशानियाँ संसार वालों के लिए हिदायत यानी सही राय पाने का माध्यम नहीं । सत्य के मुकाबले में असत्य लाख बलशाली हो लेकिन डर सहम कर असत्य के सामने सर न झुकाया, नमरूद की सलतनत के मुक़ाबले में जनाब इब्राहीम के पास कितनी सेना थी। हाथियों के दल से अबाबील की क्या तुलना थी। इस्लाम के पैग़म्बर जिनके मुक़ाबले अनीश्वरवाद औ अनेकेश्वरवाद की सभी शक्तियाँ सिमट आयी थीं, सफलता की क्या सम्भावना थी। परन्तु ईश्वर का वादा कितना सच्चा है सत्यवादी है सत्य का सर ऊंचा है सत्य का सर ऊंचा ही रहता है उस पर कोई भी विजयी नहीं हा सकता। बशर्ते कि सत्यवादी जमें रहें और प्रत्येक बलिदान के लिए तैयार रहें चाहे वो जनाब इस्माईल सरीखे प्यारे और चहीते पुत्र की कुर्बानी ही क्यों न हो।

''फिर अपना मैल कुचैल दूर करें''[15] यह मैल कुचैल चाहे शरीर की हो चाहे आत्मा की हो। संस्कार खत्म हो तो तुम्हारी रूह से मैल कुचैल दूर हो आचार में पवित्रता आ जाए वहीं कपड़ो और शरीर को पाक साफ रखना। ताकि वे अपने फ़ायदे को देखें''[16] पैदल और सवारियों पर आयें तो कौन से नफे या लाभ पहुंचेंगे। क्या यह परलोक के लाभ होंगे? जी नहीं यह मुसलमानों का एक वार्षिक विश्व सम्मेलन होगा जिसमें हर देश और राष्ट्र के लोग भी होंगे, व्यवसायी भी, दार्शनिक भी होंगे धर्म ज्ञानी भी, सब मिल के बैठ कर मुसलमानों की विश्व समस्याओं पर सोच विचार और उनके समाधान की राह निकालने का अवसर मिलेगा। यह भी देखने का अवसर मिलेगा कि जो पहले फैसले लिए गये थे उन पर अमल हुआ या नहीं! और नहीं हुआ तो क्या मेल जोल की सूरतों का पता चल जायेगा।

निसन्देह ईमान वाले आपस में भाई–भाई हैं, के सिद्धान्त पर कमज़ोरों की मदद और उनके अपने पैरों पर खड़े करने के तरीके ढूंढ़े जायेंगे। अल्लाह ने आदर करने वाले घर, काबा को लोगों के कायम रखने के लिए साधन केन्द्र ठहराया

14 एक सो पांचवा सूरा अल–फील, आयत 6

15 बाईसवां सूरा अल–हज, आयत 29
16 बाईसवां सूरा अल–हज, आयत 28

है''[17] ''काबा'' लोगों के लिए जीवन और शक्ति तथा मुसलमानों के लिए शक्ति तथा मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाले धार्मिक आन्दोलन का केन्द्र है। यहों से उठने वाला प्रत्येक लाभकारी आन्दोलन पुरी दुनिया के चुने लोगों के वार्षिक सम्मेलन के कारण थोड़ी अवधि में हर तरफ फैलाया जा सकेगा। एक दूसरे को निकट से देखने दूसरों के विचार और विश्वास का निकट से अध्ययन करने के कारण ग़लफहमियाँ दूर होंगी भ्रम निवारण होगा। झूटे प्रचाारों द्वारा स्वार्थी तत्व जो भेद भाव डालने की व्यवस्था दी जाती है कोशिश करते हैं, एक दूसरे के विरूद्ध कुफ्र के फतवे अर्थात अनिश्वरवादी होने की व्यवस्था दी जाती है उनकी वास्तविकता जानी जा सकेगी। बहर हाल तात्पर्य यह है कि इस्लाम के शरीर में काबे का स्थान है जो मानव काया में हृदय का। जहां हर तरफ का रक्त जमा होता है उसको बेकार और हानिकारक प्रभावों से पाक किया जाता है और फिर दूर निकट शरीर के प्रत्येक अग तक इस साफ जीवन निधि का उचित बटवारा हो जाता है।

सामूहिक लाभ और युक्तियों से हटकर भी हज के सारे संस्कार अपने भीतर सुधार की बड़ी शक्ति रखते हैं। सब का किसी विशेष स्थान से ''इहराम बांधना[18] इहराम के वस्त्र का एक रंग होना सबका एक जबान होकर आसक्ति पूण्र ढंग ''लब्बैक'' अल्लाहुम्मा ''लब्बैक'' कहना और स्वच्छता के साथ अल्लाह के घर पर न्योछावर होना। ''सफा'' और ''मरवा[19] के बीच ''सई'' मुजदलिफा मशअरुल हराम[20] में ठहरना शैतानों पर पत्थर बारी मिना में कुर्बानी ग़रज़ हज के संस्कारों में से प्रत्येक संस्कार की युक्तियों की अगर व्याख्या की जाये तो पूरी किताब लिखी जा जा सकता है।

लेकिन यह तभी है जब हज की आत्मा को पहचान कर संस्कार पूरे किये जायें केवल रस्म और मनोरंजन न मान लिया जाये। अन्यथा अगर ग़लत विचारों के साथ हज करके पलटा जा रहा है तो रहा सहा ईमान और इखलाक़ भी काबे से लिपट कर रह जाता और मुसलमानों गैर मुल्की सामान खरीद के आध्यातिमिकता यानी रूहानियत बेचकर पलट आता है।

●●●

jqckbZ

मौलवी क़ायम महदी नक़वी साहिर इजतिहादी

घबराएगें दुनिया में जो रहते रहते
उठ जायेंगे या हुसैन कहते कहते
डूबेंगे जो बहरे ग़मे शब्बीर में हम
कौसर पे पहुँच जाएगें बहते बहते

¼s uƐ16 dkdfd;k½

आया और हमारे उलमा में अल्लामा नूरी ने भी 'मुस्तदरकल वसायल में उसे लिखा है।

इन हदीसों में 'क़र्नुश्शैतान' का शब्द है जिसके शाब्दिक अर्थ जो वही है तो हमने अनुवाद में लिखे है अर्थात शैताान की सींग। इसके लिए 'क़ामूस' में है कि 'क़र्नुश्शैतान' और 'कर्नाश्शैतान' अर्थात 'शैतानों का सींग' और शैतान के दोनों सींग ''इसके मायने है उसका समूह, उसके मतावलम्बी या उस की शक्ति और वर्चस्व, अधिपत्व मानो नज्द वाले शैतान के शस्तों की स्थिति में है कि उन्हीं के द्वारा वह हमला करता है और अपने उददेश्य प्राप्त करता है।

इसे इब्ने असीर जज़री ने 'निहाया' में लिखा है। फिर एक हदीस पैग़म्बर की है कि: "ईमान मदीने की ओर पनाह लेता है।

¼kjh ... ½

●●●

17 पांचवा सूरा अल–माइदा, आयत 97

18 इहराम का मतलब है कि हज करने वाला सिली हुई पोशाक उतार दे और बे सिले कपड़े हज की नीयत से धारण कर ले।

19 सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियों के नाम हैं जिनके बीच हाजी चक्कर लगाते हैं यह संस्कार ''सई'' कहलाता है।

20 यह दो स्थान हैं जहां मिना से पहले हाजी ठहरते हैं।

वहाबी मत का सत्य

y$kd %आयतुल्लाहिल उज़मा सय्यदुल उलमा मौलाना सै0 अली नक़ी नक़वी

fdLr %&11&   lEiknu %नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

दूसरी बात यह कि "जो क़ब्र ऊँची देखो उसे बराबर कर दो" इसका अर्थ यह है कि खुद क़ब्र ऊँची हो जैसी ईसाइयों की क़ब्रें होती हैं या मुसलमानों के भी एक वर्ग में ऊँट की पीठ के उभार की तरह ऊपर उठी हुई क़ब्रें बना दी जाती हैं, तो उन क़ब्रों को ऊपर से बराबर कर देने का हुक्म हो तो इस आदेश से उन पर कोई असर नहीं पड़ता जो क़ब्रें पहले से ही समतल बनायी जाती हैं मगर उनके चारों ओर इमारत बनाई गई हो या गुम्बद का निर्माण किया गया हो जैसा कि धर्म के इमामों या नबियों की क़ब्रें होती हैं, हदीस का सम्बन्ध उन क़ब्रों से नहीं है। सच्चाई यह है कि स्वयं क़ब्रों की बनावट में मतभेद है। अहले सुन्नत में अधिकतर ऊँट की पीठ के उभार की तरह ऊँची क़ब्र बनायी जाती है, लेकिन इमामिया (शिया) वर्ग जोकि इमामों की शिक्षाओं पर आधारित है और शाफ़ई फ़िक़्ह में क़ब्र को समतल बनाया जाता है। यह हदीस उससे सम्बन्धित है। शैख हुर्र आमिली जो बड़े आलिम थे उन्होंने हदीसों की अपनी बड़ी किताब "वसाइलु श शीआ" में उसे 'तस्तीहु क़ब्र' (क़ब्र का बराबर करना) के अध्याय में लिखा है और मुहदिदस नूबवी ने भी जो बड़े सुन्नी उलमा में है यही अर्थ समझा। सहीह मुस्लिम की व्याख्या में इस हदीस की व्याख्या में लिखा गया है कि:

"सुन्नत (रसूल[स0] का चलन/सदावृत्ति) यह है कि क़ब्र ज़मीन से ज्यादा ऊँची न हो और उसे ऊँट की पीठ के उभार की तरह का बनाया जाए बल्कि बस एक बालिश्त ऊँची रखी जाए और यही शाफ़ई और उनके सहमत उलमा का पन्थ है।" कस्तलानी ने भी शरहे सहीह बुखारी में इसे क़ब्रों के समतल करने के तर्कों में लिखा है और कहा है कि इस हदीस में क़ब्रों के बराबर करने के मायने यह नहीं हैं कि उन्हे भूमि तल के बराबर कर दिया जाय बल्कि उसका अभिप्राय यही है कि उन्हें समतल कर दिया जाय।

सच्चाई यह है कि "सव्वैतुहू" का अर्थ बराबर करना है यदि उसके साथ किसी और चीज़ का नाम लिया जाए तो मायने उस चीज़ के बराबर करने के होंगे। लेकिन अगर उसके साथ किसी और चीज़ का नाम न लिया जाए तो उसका अर्थ यह होगा कि बस वह चीज़ अपनी जगह पर एकसी और समतल कर दी जाए। इसी से फ़ैतूमी में 'मिस्बाहुल मुनीर' में लिखा है कि 'इस्तवल मकान' के मायने यह हैं कि ये जगह बराबर और एक सी हो गयी और क़द सव्वैतुह के मायने है कि मैं ने उसे बराबर और ठीक एक सा बना दिया। इसी तरह 'क़ामूस' (अरबी भाषा का एक माना हुआ शब्दकोश) मे है। अगर वह मायने होते तो सव्वैतुहू बिल अर्ज़ कहा जाता जैसे मासूम ने कहा है कि सव्वैतुहू बिहि तस्तरैतुह और 'सव्वैतु बैनहुमा' और 'सावैतु अव अस्तरैतुह बिह' इस सब के सामने यह है कि मैंने इसको उस दूसरे के बराबर कर दिया। यहाँ हदीस में केवल "सव्वैतहू" इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ वही है जो उलमा ने समझा है कि क़ब्र की बीच वाली ऊँचाई को बराबर करके उसे समतल कर दिया जाए।

यदि क़ब्र को बिल्कुल बराबर करने का हुक्म होता तो पैग़म्बर[स0] ने उस्मान बिन मज़ऊन की क़ब्र को ज़मीन से ज़रा ऊँचा क्यों रखा जैसा कि

हदीस के स्पष्ट है और एक हदीस अभी आएगी जिसमें है कि रसूले खुदा ने एक व्यक्ति को देखा जो क़ब्र से टेक लगाए बैठा है और टेक लगाना उस समय तक संभव ही नहीं है जब तक क़ब्र ज़मीन से थोड़ी ऊँची न हो।

इस निर्माण से सम्बन्धित एक चीज़ और है क़ब्र पर साया करना। वहाबी लोग इसे भी मना करते सुने गये हैं। हालाँकि इसका होना भी पैग़म्बर और सहाबियों के समय में मिलता है। इब्ने हजर की "इसाबा" में सअ़लिबा बिन मालिक की रिवायत है कि: हकम बिन अबिल आस की उस्मान के दौर में मृत्यु हो गई और उस दिन बहुत कड़ी गर्मी थी तो क़ब्र पर ख़ैमा (तम्बू) लगा दिया गया इस पर लोग "कानाफूसी" करने लगे तो उस्मान ने कहा कि उमर के समय में ज़ैनब बिन्ते जहश की क़ब्र पर खैमा लगाया गया तो उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की।''

हकम की मृत्यु सन् 32 हिजरी में हुई थी।

इसके अलावा तफ़सीरे रूहुल मआनी में है कि जनाब मुहम्मद हनफ़िया ने जनाबे इब्ने अब्बास की क़ब्र पर खैमा लगवाया और सहीह बुख़ारी में है कि जब हसन इब्ने हसन (अ0स0) का देहान्त हुआ तो उनकी धर्म पत्नी (फातिमा बिन्तुल हुसैन) ने उनकी क़ब्र पर ख़ैमा लगवाया और वहाँ एक साल तक रहीं। यह कहना कि क़ब्रों को मस्जिद बनाना और उनमें नमाज़ यह भी मना है और शायद इसका सम्बन्ध रसूल की उस हदीस से हो कि अल्लाह यहूदियों व ईसाइयों पर लानत करे कि उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बनाया मगर इसका सही अर्थ वह है जिसे मुहद्दिस ताहिर फतनी ने "मजमउल बिहार" में लिखा है कि:

"वे लोग उन क़ब्रों को क़िब्ला बनाकर उनकी ओर हर नमाज़ में मूर्तियों की तरह सजदा (दण्डवत) किया करते थे।"

और हाफ़िज़ सुयूती ने अपनी किताब ज़हरुर्रिबा में इस हदीस की व्याख्या में लिखा है कि

"जब उनमें से कोई नेक आदमी मरता था तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते थे।"

बैज़ावी ने लिखा है कि:

"क्यों कि यहूदी और इसाई अपने नबियों की क़ब्रों का सजदा करते थे और उन्हें क़िब्ला बनाकर उनकी ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ते (पूजा करते) थे और उन्हें मूर्ति बना लिया था इसलिए उन पर लानत की गई और मुसलमानों को रोका गया कि वे ऐसा न करें लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी नेक व्यक्ति की क़ब्र के पास मस्जिद बनाए केवल बरकत पाने के लिए और क़ब्र की ओर मुँह करके नमाज़ न पढ़े तो उसपर यह लागू होगा।"

सुनने निसाई के हाशिए (टिप्पडी) पर अल्लामा सिन्दी मदनी ने लिखा है कि:

"हज़रत[स0] यह चाहते थे कि अपनी उम्मत को उस चीज़ से डराएं जो यहूदियों और ईसाइयों ने अपने पैग़म्बरों की क़ब्रों के साथ किया था कि उन्हें मस्जिद बना लिया इस तरह कि उन्हीं को सजदा करने लगे या उन्हें क़िब्ला बना लिया कि नमाज़ आदि में उन्हीं की ओर मूँह करने लगे लेकिन अगर जो क़ब्र के आसपास सवाब के लिए मस्जिद बनाए तो वह मना (निशिद्ध) नहीं है।"

पहले इसी किताब में कब्र पर मस्जिद के निर्माणके सबूत लिखे जा चुके है जैसे अस्हाबे कहेफ़ (गुफ़ा वालों) पर मस्जिद का निर्माण और फ़ातिमा बिन्ते असद की कब्र पर मस्तिद का जनाब महम्मद हनफ़िया के सामने असतित्व और दूसरी सदी हि0 में जनाब हम्ज़ा की कब्र पर मस्जिद का होना और यहाँ इसपर यह बढ़ाया जाता है कि : "कुनूजुल हक़ाएक़े मुनादी" में देलमी की रिवायत है कि: "मस्जिदे ख़ीफ़ में सत्तर नबी दफ़्न हैं।"

एक दूसरे स्थान पर इसकी रिवायत तबरानी से है– इससे इब्ने क़य्यिम के उस दावे की काट हो जाती है कि इस्लाम धर्म में मस्जिद और क़ब्र एक स्थान पर नहीं हो सकते बल्कि जो बाद में हो उसे रोक दिया जाए और पहले वाले को रखा जाय। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मस्जिदुल हराम (काबा) है जिसके अन्दर हजरे इस्माईल में जनाबे इस्माईल और जनाबे हाजिरा की क़ब्रों का

अस्तित्व है।

एक और अर्थ उस हदीस के बारे में वह है जिसे इमाम बुखारी ने समझा है। वह अर्थ यह है कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपने नबियों की क़ब्रों को खोद डाला और उनकी जगह मस्जिदे बना दीं तो रसूल ने उन पर लानत की है पैग़म्बरों की तौहीन के कारण। इसी से उन्होंने अपनी 'सहीह' शीर्षक लगायी है कि जाहिलियत (अज्ञान के काल–इस्लाम के पहले का अंधकार काल) के मुश्रिकों की कब्रों को खोद डाला जाय और उनकी जगह पर मस्जिदें बनादी जायें। इसके सबूत में उन्होंने यह हदीस लिखी है कि रसूल[स॰] ने यहूदियों और ईसाइयों पर लानत इस बात पर की कि उन्होंने नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाया। 'फ़तहुबारी' में इसकी व्याख्या में लिखा है।

''इस हदीस से काफ़िरों की क़ब्रों को मस्जिद बनाने पर तर्क इस आधार पर है कि रसूल[स॰] ने उनपर लानत की जिन्होंने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बनाया और नबियों के साथ उस हुक्म में उनके अनुयायी साथ हैं जो नेक मोमिन हैं किन्तु दूसरे लोग यानी मुश्रिक लोग उन के क़ब्रिस्तानों को खोद कर मस्जिद बनाई जा सकती है।''

अगर हदीस का यह अर्थ हो तो वह वहाबी विचारधारा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिए कि नबियों की क़ब्रों को खोद कर मस्जिद बनाने पर लानत जब नबियों के अपमान के कारण है तो फिर बिना किसी कारण के केवल अन्यायपूर्वक और बवाल से उनकी क़ब्रों को खोदना तो निश्चय ही उनका अपमान है क्यों कर लानत के योग्य न होगा? मक़बरों में नमाज़, इसके हराम (निशिद्ध) होने पर कोई दलील या तर्क नहीं है। उलमा गण इसके मकरूह (घिनावना–न किया जाये तो अच्छा है) होने को मानते हैं। वहाबियों की जो विचार है। उसके विरूद्ध अहलेबैत[अ॰] और सहाबियों को करनी (कर्म) है। गज़ाली ने 'इहयाउल उलूम' में इमाम जाफ़रे सादिक़[अ॰] के रवायत लिखी है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा[स॰] जनाबे हमज़ा[र॰] की कब्र की ज़ियारत को जाती थीं और वहाँ नमाज़ पढ़ती थीं और रोती थीं। इसके अतिरिक्त हजरे इस्माईल (इस्माईल–शैल) में जनाब इस्माईल[अ॰] और जनाबे हाजिरा की क़ब्रों के होते हुए वहाँ नमाज़ की श्रेष्ठता आई है और इब्ने असीर ने 'निहाया' में लिखा है:

मक़बरों में नमाज़ से रोक इस लिए हुई है की वहाँ की मिटटी में बहुत से मुर्दों के शरीर से निकली हुई गीली गंदगियाँ मिली हुई होती हैं।'' वरना अगर किसी पाक साफ जगह नमाज़ पढ़े तो कोई बुराई नहीं है।''
ऐसा ही मुहदिदस फतनी ने 'मजमउल बिहार' में लिखा है और इतना बढ़ाया है।
''यह रोक खास उन कब्रों से है जो खुदी हुई हों।''

इसके अलावा क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के मना होने (हराम होने) की दलील यदि इस तरह दी जाए कि क़ब्रों को मस्जिद नहीं बनाना चाहिए तो इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और इसका सबूत इब्ने हिबान की सहीह से भी मिलता है जिसमें यह मिलता है कि नबी[स॰] ने कब्रों की ओर नमाज़ पढ़ने से मना किया है और इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने पैग़म्बरे[स॰] ख़ुदा से रिवायत की है कि आपने फरमाया क़ब्रों पर बैठो नहीं और क़ब्रों की ओर नमाज़ न पढ़ो।

इसके बाद उन हदीसों के बारे में कोई शक बाक़ी नहीं रहता और नेक लोगों की क़ब्रों के पास बरकत के लिए नमाज़ पढ़ना पहले के नेक लोगों में बराबर चलता रहा और कुरआन की आयतों से भी इसकी पुष्टि होती है। कुरआन में हुक्म है कि: "इब्राहीम के खड़े होने की जगह को अपनी नमाज़ का स्थान बनाओ।" और अब्दुल्लाह बिन उमर हजरत पैग़म्बरे ख़ुदा की निशानियों को ढूंढते थे और वहाँ नमाज़ें पढ़ते थे। और इब्ने तैमिया ने 'सिरातममूस्तकीम' में लिखा है जैसा कि औराक़े वग़दादिया में दिया है कि सिन्दी रवाँरज़्मी का बयान है:
हमने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा कि क्या

कोई व्यक्ति उन पाक स्थानों पर जो बने हुए हैं इस विषय में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहाः इब्ने मकतूम की हदीस है, उन्होंने खुदा के रसूल से पूछा कि वह अपने घर में नमाज़ पढ़ा करें कि नमाज़ का एक केन्द्र होजाय और इब्ने अब्बास का काम कि वह दोनों रवायतों के आधार पर उन पाक पुनीत जगहों पर भी जाकर नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है मगर लोगों ने अति से बहुत काम लिया है और इसमें बहुत बढ़ौती कर दी है।'

इसी प्रकार अहमद बिन क़ासिम ने उनसे बयान किया है कि उनसे पूछा गया उन पाक स्थानों पर जाने के सम्बन्ध में जो मदीने में हैं तो उन्होंने कहा किः

"इब्ने मकतूम की हदीस और अब्दुल्लाह बिन उमर के कार्य के आधार पर जो वो रसूल की निशानियों (जैसे ठहरने के स्थान) पर नमाज़ें पढ़ते थे इसमें कोई बुराई नहीं है और इसकी आज्ञा है।"

"अल–आलामुल इलामि बैतुल्लाहिल हराम" में लिखा है कि जनाबे खदीजा के मकान को अक़ील इब्ने अबी तालिब ने ले लिया फिर उनसे मुआविया बिन अबू सुफ़ियान ने ख़रीदा और उसे मस्जिद बना दिया कि उसमें नमाज़ पढ़ी जाए। इस प्रकार मालूम हुआ कि नबियों और नेक लोगों की क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ना धर्म क़ानून से जायज़ है और इसके हराम होने पर कोई दलील नहीं है बल्कि नेक लोगों के चलते इसके अच्छा होने का पता देता है।

ये कहना कि क़ब्रों पर चिराग़/दीपक जलाना मना है, इब्ने अब्बास की उस रिवायत के आधार पर कि रसूल ने लानत की क़ब्र की ज़ियारत करने वालियों और उन्हें मस्जिद बनाने वालों और चिराग़ जलाने वालों पर। इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि अगर बिना किसी सही उद्देश्य के चिराग़ जलाया जाए तो इसकी रोक हो सकती है लेकिन अगर वह ज़ियारत करने वालों की आसानी या क़ुरआन, दुआ और ज़ियारत पढ़ने वालों के लिए जलाया जाए तो वह अच्छे काम में मदद है, उन पर हर्गिज़ नबी की लानत नहीं हो सकती। चूमने और दुआ के बारे में सुबूत पहले भी आ चुके हैं। इस पर भी ज़्यादा यह है कि इब्ने तैमिया ने "सिराते मुस्तक़ीम" में लिखा है कि अबूबक्र असरम ने रवायत की है किः

"मैंने अहमद बिन हम्बल से क़ब्रे रसूल के साथ तमस्सुह के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिम्बर के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा कि इसके लिए रिवायत आई है कि अब्दुल्लाह बिन उमर मिम्बर को चूमते थे और सईद बिन मुसय्यब का अमल भी बयान किया गया है।"

इससे स्पष्ट है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रसूल की क़ब्र के लिए यह दुस्साहस नहीं किया कि उससे तमस्सुह को हराम कहें। बस यह कहा कि मैं नहीं जानता जबकि हर व्यक्ति समझ सकता है कि जब मिम्बर से तमस्सुह का सुबूत मिल गया तो रसूल की क़ब्र तो मिम्बर से अधिक आदरणीय है। और क़ब्र के बारे में जो उनका कथन बयान हुआ कि मैं इस बारे में जानता नहीं, यह देखने में उस रावी (रिवायत करने वाले) की भूल है या यह व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं था इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे खुलकर बात नहीं की। इसलिए कि सैयद हसन सद्र[र0] ने अपनी पुस्तिका में लिखा है इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे अब्दुल्लाह बिन अहमद ने जिन का कहना स्पष्ट है, अपने बाद के बारे में विश्वसनीय है, "किताबुल इलल व सुआलात" में लिखा है किः

"मैंने अपने बाप से उस व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछा जो रसूल[स0] के मिम्बरे को बरकत के लिए छुए और उसे चूमे और यही क़ब्र के साथ करे इस उम्मीद के साथ कि उसे सवाब मिलेगा, उन्होंने कहा कि कोई बुराई नहीं है।"

इसी प्रकार इब्ने तैमिया ने यहया बिन सईद की रिवायत लिखी है कि जब वह इराक़ की ओर जाने लगे तो मिम्बर की ओर आए और उसे हाथ से छुआ और दुआ मांगी। और इमाम मालिक से

दोहराया गया है कि वह मिम्बरे रसूल से बरकत हासिल (प्राप्त) करते थे। और सब्की ने कहा कि रसूल[स०] की पाक क़ब्र से तमस्सुह (हाथ से छूकर बदन पर लगाना) से निषिद्धता (रोक) पर कोई इजमाई (एकमत–निर्विरोध) नहीं है और इस रिवायत से तर्क किया है कि मरवान इब्ने हकम ने देखा कि एक व्यक्ति रसूल[स०] की क़ब्र से लिपटा हुआ है तो मरवान ने उसकी गरदन पकड़ ली और कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं पत्थरों और ईटों की ओर नहीं आया हूँ। मैं रसूल की सेवा में आया हूँ और यह व्यक्ति अबू अय्यूब अन्सारी थे और ऐसा ही बिलाल रसूल[स०] के मुअज़्ज़िन (अज़ान देने वाले) के सम्बन्ध में आया है कि उन्होंने अपना मुँह रसूल की क़ब्र की मिट्टी से मला, और यह प्रचलन मुसलमानों में रसूल[स०] के समय से रहा।

हाँ ज़बह (धर्म विधि के अनुसार जानवर को हलाल करना/काटना) और नज़्र (मनौती) अगर अल्लाह का नाम लेकर न हो और अल्लाह के निकट होने की नीयत से न हो तो हम भी उस ज़बह को हलाल नहीं समझेंगे और न ही उस नज़्र को सही समझेंगे मगर यदि अल्लाह का नाम लेकर किसी रौज़े के ज़ायरों को बांटने के लिए ज़बह करें तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। इसी तरह अगर अल्लाह से उस रोज़े के जायरों की कुछ सेवा के लिए नज़्र करें तो भी इसके हराम होने के कारण नहीं है।

यह कहना कि दुआ के समय नबी के रौज़े की ओर मुँह करने से रोकना अच्छा है और सभी दिशाओं से अच्छी काबे की दिशा है, यह पैग़म्बरे खुदा के स्तर के न जानने या उससे आँख मूंद लेने का मुआवेज़ा है

रसूल के बारे में सही विश्वास – आस्था रखने वाले उलमा जैसे अली बिन बुरहानुददीन शाफ़ई ने इनसानुल उदून में और अल्लामा सुयूती, अपनी किताब "ख़साइसे कुबरा" में साफ़ साफ़ लिखते है कि:

'' रसूल[स०] की क़ब्र की भूमि सब ज़मीन के टुकड़ों यहाँ तक कि काबे की ज़मीन से भी बढ़कर है और कुछ लोगों ने कहा है कि आसमान के भी हर स्थान से यहाँ तक कि अर्श से भी बढ़कर है।"

तवस्सुल की चर्चा में क़ाज़ी अय्याज़ की रवायत आचुकी है कि मन्सूर दवानिक़ी (एक अब्बासी खलीफ़ा) ने इमाम मालिक से पूछा कि मैं क़िब्ले की ओर मूँह करके दुआ माँगू या रसूल[स०] की क़ब्र की ओर? तो उन्होंने कहा:

आप अपना चेहरा रसूल[स०] की ओर से क्यों फिराते है जबकि वह आपका भी वसीला (माध्यम) और आपके बाप (हज़रत आदम[अ०]) का भी।''

अल्लामा मुहक़्क़िक़ (शोधकारी) कमाल बिन हमाम ने खुल कर कहा है:

"पाक क़ब्र की ओर मुँह करना क़िबले की ओर मिम्बरे मुँह करने से बेहतर है।"

और अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने "जौहरे मुनज़्ज़म" में इस पर यह तर्क दिया है कि हम सब एकमत इस पर हैं कि:

" हज़रत (स.अ.व.स.) अपनी क़ब्र में ज़िन्दा हैं और अगर हमारी आंखों के सामने जिन्दा बैठे होते तो आपके पास मुलाक़ात के लिए आने वाला निश्चित ही आपकी ओर मुँह और काबे की ओर पीठ करता तो ऐसा ही हज़रत की क़ब्र की ज़ियारत के समय होना चाहिए।"

तवाफ़ (परिक्रमा) तमस्सुह और चूमने के लिए जो कुछ कहा गया उस पर चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल की ज़बानी इमाम अहमद बिन हंबल जिनकी ओर इब्ने अब्दुल वहाब और सभी नज़दी लोग और उनके लीडर इब्ने तैमिया और इब्ने कैयिम सबका लगाव है उनका कथन आ चुका है कि रसूल[स०] की क़ब्र को चूमने में कोई बाधा नहीं है। सामने की बात है कि मरने के बाद क़ब्र को चूमना वैसा ही है कि जैसे जीवन में हाथों या पैरों को चूमना क्यों कि दोनों का आधार एक ही है याने आदर सत्कार और सम्मान अबुदाऊद की सुनन में अब्दुल्लाह बिन उमी की ज़बानी है कि हम लोग

रसूलस० के पास गये और आप के हाथों को चूमा और उम्मे अबान बिन्ते वाज़ि बिन ज़ारि' की रिवायत अपने दादा ज़ारि से है जो अब्दुल क़ैस कुल क़बीले के प्रतिनिधि मण्डल में आये थे कि जब हम पहुँचे तो अपनी अपनी सवारियों से जल्दी जल्दी उतर के रसूल के हाथों और पैरों को चूम रहे थे इसे अतिरिक्त रसूल के आदर के क्रम चूमने के दूसरे सादय भी पहले आचुके हैं।

अब अल्लाह का शुक्र (धन्यवाद) है कि मदीने के उलमा इस फ़तवे की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और साबित हो गया है कि क़ब्रों पर गुम्बद का निर्माण और उनका आदर सम्मान के हराम या शिर्क होने का कोई कारण नहीं है, बल्कि पैग़म्बर[स०] की सीरत, सहाबा का चलन और सभी मुसलमानों में ये कार्य जो शुरू से अब तक रहा है। जो इन इमारतों को ध्वस्त करें या ध्वस्त करने का समर्थक हो वह अहले सुन्नत के परिमाणिक शब्द अनुसार जमाअत से बाहर होने के कारण दीन से भी बाहर है।

NBk v/;k;

uTn okyksa ds ckjs esa dqN gnhlsa vkSj [kcjsa%

इनमें से सहीह बुख़ारी में है कि "हज़रत पैग़म्बर[स०] मिम्बर के बग़ल में खड़े हुए और फ़रमायाः उधर से फितना (बिगाड़) होगा जहाँ से शैतान का सींग निकलेगा" या फरमाया "जिधर से सूरज की किरण निकलती है।"

दूसरे वाक्य से तो साफ है कि आपका इशारा पूरब की ओर था, हाँ पहले वाक्य में हदीस के शब्द से इस्पष्ट हैं, पता नहीं चलता आप का संकेत किस ओर था। मगर इसकी व्याख्या दूसरी हदीस से हो जाती है जो अब्दुल्लाह बिन उमर से है कि उन्होंने रसूल[स०] से सुना जबकि आप पूरब की ओर मुँह किए हुए थे कि आप[स०] कह रहे थे। "मालूम होना चाहिए कि फ़ितना (बिगाड़) उधर से उठेगा जिधर शैतान का सींग है" इससे पता चल गया कि हज़रत का इशारा पूरब की ओर था और सब लोग जानते हैं कि मदीने से पूरब की ओर नज्द की ज़मीन है।

दूसरी हदीस सहीह मुस्लिम में है किः "दिलों की कठोरता और बेवफ़ाई (अनिष्ठा) पूरब में है और ईमान (विश्वास/आस्था) हिजाज़ (वह क्षेत्र जिसमें मक्का और मदीना आते हैं) वालों में है।"

हज़रत ने इन हदीसों में साफ़ बता दिया कि तुलना में हिजाज़ वाले ईमान वाले होते हैं और नज्द के लोग दिल के कठोर (क्रुर) ओर बेरहम होते हैं मगर ये वहाबी लोग उलटा ही बताते हैं कि केवल नज्द वाले ही बस मोमिन हैं और बाक़ी हिजाज़ वाले और पूरी दुनिया के मुसलमान काफ़िर और मुशरिक हैं। फिर यदि किसी को शक हो कि पूरब से हज़रत की मुराद (आशय) नज्द है या कोई और देश तो उसके लिए हम सहीह बुखारी की एक और हदीस बयान करते हैं। इब्ने उमर की रिवायत है किः

"पैग़म्बर[स०] ने कहा कि पालने वाले हमारे शाम में (समृद्धि) दे कर, हमारे यमन में बरकत अता कर। तो लोगों ने कहा कि यह भी कह दीजिए कि हमारे नज्द में बरकत दे तो हज़रत ने फिर वही कि हमारे शाम में बरकत प्रदान कर और हमारे यमन में बरकत प्रदान कर। दोनों वाक्य कहे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह और हमारे नज्द में भी। रावी (बयान करने वाला) कहता है कि मुझे ख़याल है कि तीसरी बार हज़रत ने जवाब दिया कि वहाँ तो ज़लज़ले हैं फ़ितने हैं और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा।"

इस हदीस से जहाँ यह पता चलता है कि नज्द की ज़मीन शैतान के वर्चस्व का केन्द्र है वहाँ यह भी स्पष्ट है कि यह ज़मीन खुदा व रसूल को पसंद नहीं है। इसलिए कि रसूल[स०] ने लोगों के कहने पर भी उसे भलाई की अपनी दुआओं में शमिल नहीं किया। और इससे मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत दया इस ज़मीन से हमेशा के लिए दूर है। यह हदीस अहले सुन्नत की किताबों में भी है जैसा कि हवाला आपके सामने

(ddhis ua010 ij½

मुख्य समाचार

f'k;k lqUuh ,drk bt jkbyZ vkSj vesfjdk dh elS gS%dk;nsfeYyr elkSykuk dYcstokn

vUrjjk"Vªh; dqn~l fnol dsvolj ij y[kuÅ esavesfjdk vkSj btjkbyZ dsf[kykQ+fojks/kizn'kZu

मजलिसे उलमाये हिन्द द्वारा आयोजित 10 जुलाई 2015 को नमाज़े जुमा के बाद लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े में अन्तराष्ट्रीय कुद्स दिवस मनाया गया जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने अपने प्रथम क़िब्ले बैतुल मुकद्दस की सुरक्षा और मसिजदे अक़्सा की वापसी के लिए अमेरकिा और इज़राईल के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया साथ ही अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जारी आतंकवाद की कड़ी निंदा की।

जुमे की नमाज़ के बाद सभी प्रदर्शनकारी इज़राईल और अमेरिका के खिलाफ लिखे हुए प्ले कार्ड और बैनर हाथों में लिए हुए जुलूस के रूप में बड़े इमामबाड़े के मुख्य द्वार पर पहुंचे प्रदर्शनकारी अमेरिका व इज़राईल और सऊदी अरब सरकारों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बड़े इमाम बाड़े के द्वार पर पहुंच कर मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने प्रदर्शनकारीयों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरी दुनिया में मुसलमानों का नरसंहार जारी है। शिया व सुन्नी दोनों अमेरिका इज़राईल और तकफ़ीरी वहाबी समुदाय के आतंकवाद के शिकार हैं। क़ायदे मिल्लत ने कहा कि हम अन्तरराष्ट्रीय कुद्दस दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि मज़लूमों का समर्थन हो और अन्याय का विरोध करें क्योंकि वह शिया हो ही नहीं सकता जो अत्याचार पर चुप रहे। शिया हमेशा अन्याय का विरोधी और मज़लूम का समर्थक होता है।

मौलाना ने कड़े शब्दों में कहा कि मुसलमानों की एकता ही इसराईल और अमेरिका की मौत है। शिया सुन्नी अगर विश्व स्तर पर एकजुट हो जाएं तो इज़राईल अैर अमेरिका जैसी शक्तियां दम तोड़ देंगी लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरह एकता न हो। इसका एक उदाहरण अभी देखने में आया है जब एक होटल में इज़राईल और सऊदी अरब ने गुप्त बैठक की जिसमें मौलवियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह सामराजी शक्तियां मुसलमानों की एकता को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हैं।

इज़राईल और अमेरिका जैसी साम्राजी शक्तियों ने बड़े पैमाने पर गाज़ा और फिलिस्तीन में बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों की क्रूरत से हत्या की है वहीं यमन, इराक और कुवैत में सऊदी अरब की सरकार ने तकफ़ीरी वहाबी समुदाय द्वारा मुसलमानों खासकर शियों को आत्मघाती हमलों में मारा मस्जिदों पर हमले किये हैं। मौलाना ने कहा कि रसूले इस्लाम ने कहा है कि मज़लूम का समर्थन करो चाहे वह अजनबी ही क्यों न हो और मज़ालिम का विरोध करो चाहे वह तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। प्रर्दशनकारियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारे लगाये इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ACM2 के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा गया प्रदशर्न में मौजूद सभी लोगों को ज्ञापन की मुख्य बाते जो निम्न है पढ़ कर सुनाई गई। और अमेरीका व इज़राईल के अत्याचार के खिलाफ़ इज़राईल और अमेरिका का ध्वज जलाया।

ज्ञापन

1 गाजा पट्टी पर जारी इज़राईली आक्रामकता अैर बर्बरता को तुरंत खत्म कराया जाए और घेराबंदी हटायी जाए।

2– हिन्दुस्तानी सरकार फिलिस्तीन की वित्तीय सहायता करे ताकि इज़राईली बमबारी में तबाह हुये फिलिस्तीनी अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकें। और इज़राईल को मानवधिकार उल्लघंन का दोषी क़रार दिया जाए।
3– हिन्दुस्तानी सरकार यमन में संघर्ष विराम के लिए उचित कदम उठाए ताकि बेगुनाहों की हत्याएं बंद हो।
4– प्रर्दशनकारियों ने कुवैत में आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारतीय रिज़वान हुसैन और इब्ने हैदर के परिवार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की।
5– हिन्दुस्तान की नीति हमेशा फिलिस्तीन समर्थक रही है इसलिए भारत सरकार इज़राईल से संबंधित अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करे।

मजलिसे उलमाये हिन्द द्वारा आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर दाएश और उसके जैसे दूसरे सभी आतंकवादी संगठनों द्वारा फैलाये जा रहे आतंकवाद और मानवता के नरसंहार की कड़ी निंदा की गयी।

lj dkj cbZekuksa vkSj Hkz"V ykxksa dk usr`Ro vkSj leFkZu dj jgh gS% dk;nsfeYyr ekSykuk lS;n dYcs tokn

5 जूलाई 2015 को शिया वक़्फ बोर्ड में जारी भ्रष्टाचार और हुसैनाबाद ट्रस्ट के मसाएल पर कल शाम 4 बजे मजलिसे उल्माये हिन्द के महासचिव मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नक़्वी ने शिया आलिमों के साथ यूपी प्रेस कल्ब में पत्रकारों के संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा कराई गई जांच में वसीम रिज़वी की बेईमानियाँ साबित होने पर भी अभी तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि सरकारी जांच में उनके वारंट तक जारी हुए थे इसका मतलब यह है कि सरकार बेईमानों और भ्रष्ट लोगों का नेतृत्व और समर्थन कर रही है। सरकार वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच कराए ताकि समर्पित संपत्तियों में हुई बेइमानियाँ और खुर्द बुर्द सामने आ सके और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। सरकारी जांच में दोषी पाए गए वसीम रिज़वी को उनके पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जिन सदस्यों का चयन किया गया है उनकी शैक्षिक योग्यता की जांच अभी तक नहीं की गई है और ऐसे सदस्यों को वक्फ बोर्ड में लाया गया है जो पहले से ही वक्फ में खुद बुर्द के दोषी हैं और वक्फ की जमीनें बेच चुके हैं इसकी जाँच होनी चाहिये। मौलाना ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद फिर वसीम रिज़वी चेयरमैन कैसे बने जबकि अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।

मौलाना ने आगे कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट और इमाम बाड़ों की पवित्रता की रक्षा के लिए ज़िला प्रशासन ने जो वादे किए हैं उन पर जल्द कारवाई होना चाहिए यदि इन वादों को जल्द पूरा न किया गया और कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो हम अन्जुमानों को फिर से विरोध प्रदर्शन और धरने से रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जल्दी हुसैनाबाद ट्रस्ट की देखरेख और इमाम बाड़ों की निगरानी के लिए आलिमों वकीलों और शाही परिवार के लोगों को शामिल कर कमेटी बनाई जाए और और इमामबाड़ों की पवित्रता के लिए जो वादे किए गए हैं वे पूरे किए जाएं क्योंकि अभी भी पर्यटक उसी स्थिति में इमाम बाड़े में आ जा रहे है जिस पर शिया समुदाय को आपत्ति थी अैर जिसकी वजह से संगठनों ने इमाम बाड़े पर ताला बंद कर प्रदर्शन शुरू किया था। मौलाना ने कहा कि इमाम बाड़े हमारे धार्मिक स्थल है उनके लिए जो वादे किए गए हैं उन पर तुरंत कारवाई होनी चाहिए।

मौलाना ने कहा कि अगर वादों पर जल्दी अमल नहीं हुआ और उचित कार्रवाई नहीं की गई और वक्फ बोर्ड से वसीम रिज़वी को नहीं हटाया गया तो ईद की 10 तारीख को हज़रत गंज शाही मस्जिद पर भव्य विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें शिया व सुन्नी दोनों समुदाय हिस्सा लेंगे और अन्य ज़िलों से भी जनता की भागीदारी होगी।